



अनुक्रमांक/Roll No.

--	--	--	--

कुल प्रश्नों की संख्या : 04
Total No. of Questions : 04

मुद्रित पृष्ठों की संख्या : 12
No. of Printed Pages : 12

JUDGMENT WRITING

निर्णय लेखन

Fourth Paper

चतुर्थ प्रश्न-पत्र

समय – 3:00 घण्टे
Time Allowed – 3:00 Hours

पूर्णांक – 100
Maximum Marks - 100

निर्देश :-

Instructions :-

1. All questions are compulsory. Answer to all Questions must be given in one language either in Hindi or in English. In case of any ambiguity between English and Hindi version of the question, the English version shall prevail.

सभी प्रश्न अनिवार्य हैं। सभी प्रश्नों के उत्तर हिन्दी अथवा अंग्रेजी एक भाषा में ही देने हैं। यदि किसी प्रश्न के अंग्रेजी और हिन्दी पाठ के बीच कोई संदिग्धता है, तो अंग्रेजी पाठ मान्य होगा।

2. Write your Roll No. in the space provided on the first page of Answer-Book or Supplementary Sheet. Writing of his/her own Name or Roll No. or any Number or any mark of identification in any form in any place of the Answer Book not provided for, by which the Answer Book of a candidate may be distinguished/ identified from others, is strictly prohibited and shall, in addition to other grounds, entail cancellation of his/her candidature.

उत्तर पुस्तिका अथवा अनुपूरक शीट के प्रथम पृष्ठ पर निर्दिष्ट स्थान पर ही अनुक्रमांक अंकित करें। उत्तर पुस्तिका में निर्दिष्ट स्थान के अतिरिक्त किसी स्थान पर अपना नाम या अनुक्रमांक अथवा कोई क्रमांक या पहचान का कोई निशान अंकित करना जिससे कि परीक्षार्थी की उत्तर पुस्तिका को अन्य उत्तर पुस्तिकाओं से अलग पहचाना जा सके, सर्वथा प्रतिषिद्ध है और अन्य आधारों के अतिरिक्त, उसकी अभ्यर्थिता निरस्त किये जाने का आधार होगा।

3. **Writing of all answers must be clear & legible. If the writing of Answer Book written by any candidate is not clear or is illegible in view of Valuer/Valuers then the valuation of such Answer Book may not be done.**

सभी उत्तरों की लिखावट स्पष्ट और पठनीय होना आवश्यक है। किसी परीक्षार्थी के द्वारा लिखी गई उत्तर-पुस्तिका की लिखावट यदि मूल्यांकनकर्ता/मूल्यांकनकर्तागण के मत में अस्पष्ट या अपठनीय होगी तो उसका मूल्यांकन नहीं किया जा सकेगा।

P.T.O.



Scan this
QR Code to
Linking Laws B10s





SETTLEMENT OF ISSUES

विवादको का स्थिरीकरण

Q.1 Frame the issues on the basis of the pleadings given here under - 10

PLAINTIFF'S PLEADINGS :- The defendant had prosecuted the plaintiff for theft of bicycle. The plaintiff was arrested and detained in police custody for two days. Thereafter, during trial, he remained in jail for about 15 days. After investigation, the plaintiff was charged under Section 380 of IPC for committing theft of bicycle in the dwelling house of the defendant, however, the plaintiff was acquitted of the offence charged. The judgment of acquittal was declared on date 01-01-2008. According to plaintiff, the defendant had enmity with him. After acquittal, the plaintiff served a notice to defendant that due to malicious prosecution his reputation is lowered down in the eyes of public and in particularly of his relatives. He has claimed Rs. 10,000/- as compensation.

WRITTEN STATEMENT :- The defendant has denied the averments made by the plaintiff and alleged that he never prosecuted the plaintiff. The police officer of the concerned police station investigated the case and seized the bicycle from the accused. The witness of seizure memo were declared hostile and the court did not believe the evidence of the Investigating Officer who seized bicycle at the instance of the accused/plaintiff. He has denied that plaintiff is entitled to any damages, as the plaintiff's reputation was not at all lowered down in the eyes of public or in the eyes of the relatives. He has also stated that he did not find it necessary to reply to the notice, hence, no reply was given. He has further claimed that he can not be estopped for not replying to the said notice.





निम्नलिखित अभिवचनों के आधार पर विवाद्यक विरचित कीजिये।

वादी के अभिवचन — प्रतिवादी ने वादी को साइकिल चोरी करने के लिये अभियोजित किया था। वादी को गिरफ्तार किया गया था और दो दिनों के लिए पुलिस अभिरक्षा में निरुद्ध किया गया था। तत्पश्चात्, विचारण के दौरान वह 15 दिनों के लिए जेल में रहा। अन्वेषण के बाद भा.दं.सं. की धारा 380 के अधीन प्रतिवादी के निवास गृह में साइकिल चोरी करने के लिए आरोपित किया गया, यद्यपि, वादी को आरोपित अपराध के लिए दोषमुक्त कर दिया गया। दोषमुक्ति का निर्णय दिनांक 01-01-2008 को घोषित हुआ था। वादी के अनुसार, प्रतिवादी की वादी के साथ दुश्मनी थी। दोषमुक्ति के बाद वादी ने प्रतिवादी को नोटिस भेजा कि विद्वेषपूर्ण अभियोजन के कारण उसकी प्रतिष्ठा लोगों की दृष्टि और विशेषतया उसके सम्बन्धियों में गिर गयी है। उसने प्रतिकर के रूप में 10000/- रुपये का दावा किया है।

प्रतिवादी के अभिवचन — प्रतिवादी ने वादी द्वारा किये गये अभिवचनों को अस्वीकार किया और अभिकथित किया कि उसने वादी को कभी भी अभियोजित नहीं किया था। संबंधित पुलिस थाने के पुलिस अधिकारी ने मामले का अन्वेषण किया था और अभियुक्त से साइकिल अभिगृहीत की थी। जप्ती मेमो के साक्षी पक्षद्रोही घोषित हो गये थे और न्यायालय ने अन्वेषण अधिकारी जिसने अभियुक्त/वादी द्वारा इंगित किये जाने पर साइकिल अभिगृहीत की थी, के साक्ष्य पर विश्वास नहीं किया था। उसने अस्वीकार किया कि वादी किसी प्रतिकर का हकदार है क्योंकि वादी की प्रतिष्ठा लोगों की दृष्टि में या उसके सम्बन्धियों की दृष्टि में धूमिल ही नहीं हुई थी। उसने यह भी कहा है कि उसने नोटिस का जवाब देना आवश्यक नहीं समझा था, इसलिए, कोई जवाब नहीं दिया था। उसने आगे दावा किया कि कथित नोटिस का जवाब न देने के कारण उसे विबन्धित नहीं किया जा सकता है।

FRAMING OF CHARGES

आरोपों की विरचना

**Q. 2 Frame a charge/charges on the basis of prosecution case/ 10
allegations given below:-**

PROSECUTION CASE / ALLEGATIONS – The case of prosecution in brief is that the complainant has lodged F.I.R. in police station stating that on 02/08/20 at 12 o'clock noon, he was proceeding towards his field at Bablai on his motorcycle and when he reached in front of well of Bhagwan on Sirsya road, then the driver of a dumper bearing registered No O.D. 29 B. 0120 drove his vehicle in rash & negligent manner and hit his motorcycle. Resultantly, the complainant suffered injuries on left





Link Life with Law

leg, knee, right thigh, right hand finger, and left side of the face, near eye. The driver of dumper ran away from the spot with the vehicle. The complainant was taken to hospital for treatment of injuries. A memo of bringing complainant to hospital for treatment was sent from hospital to the police station. The medical examination of complainant was done in which Doctor found abrasions on his body and opined for X-ray. On having done x-ray, fracture was found in his leg. An offence u/s 279, 337 of I.P.C. was registered against driver of dumper at the police station. At the time of submitting challan Section 338 of I.P.C. was added in it.

निम्नलिखित अभिकथनों के आधार पर आरोप विरचित कीजिये –

अभियोजन का प्रकरण/अभिकथन :- अभियोजन का मामला संक्षेप में यह है कि फरियादी द्वारा यह बताते हुये प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज कराई गई है की वह दिनांक 02/08/20 को दोपहर 12 बजे बबलाई स्थित खेत के लिए मोटर साईकल से जा रहा था और जब वह भगवान के कुएं के सामने सिरसियां रोड़ पर पहुँचा तब डम्पर क्रमांक ओ.डी.29-बी 0120 का चालक डम्पर को तेजी और लापरवाही से चलाकर लाया और उसकी मोटरसाईकल को टक्कर मार दी। परिणामस्वरूप, फरियादी को बाए पैर, घुटने, दाहिनी जांघ, दाहिने हाथ की अंगुली ओर चेहरे पर बाईं तरफ आंख के पास चोट लगी। डम्पर चालक वाहन को मौके से ले कर भाग गया। फरियादी को चोटों के उपचार के लिए अस्पताल ले जाया गया। अस्पताल से थाना को तहरीर भेज कर फरियादी को दुर्घटना मे उपचार के लिए लाये गये होने की सूचना दी गई। फरियादी का अस्पताल में मेडिकल परीक्षण किया गया, जिसमें डॉक्टर ने उसे रगड़ की चोटें होना पाया और एक्सरे की सलाह दी। एक्सरे कराने पर उसके पैर में अस्थिभंग होना पाया गया था। थाने पर डम्पर चालक के विरुद्ध धारा 279, 337 भा.द.स. के तहत अपराध की कायमी की गई। चालान प्रस्तुति के समय उसमें भा.द.सं. की धारा 338 जोड़ी गयी।

JUDGMENT/ORDER (CIVIL) WRITING (CJ-II)

निर्णय/आदेश (सिविल) लेखन (CJ-II)

**Q. 3 Frame issues on the basis of pleadings and evidence given below 40
and write a judgment based on marshalling and appretiation of
the evidence, along-with the relevant provisions of Law/Acts :-**



Scan this
QR Code to
Linking Laws BLOs





Plaintiff's Pleadings :- Plaintiff is owner of Plot No. 1 and admittedly defendant is owner of plot No.2. Both the plots are adjacent to each other. The plaintiff has constructed a house on his plot No.1 and on right side of his house, he has opened two windows. Since on left side and back side, there are walls of other houses, as, the plaintiff had no other source to get air in rear portion of his house. This is why plaintiff had constrain to open window on the right side. The plot No.2 is lying open for more than 25 years as defendant intends to sell it when it would fetch high value of plot. The plaintiff is enjoying air and light from his windows which is according to him minimum requirement for the permanent beneficial enjoyment of his property. According to plaintiff, he is enjoying the above right within knowledge of the defendant, peaceably, without any interruption for more than the last 23 years. It is further pleaded that the defendant had purchased his plot No.2. from some other person and before that plaintiff had already constructed his house. The defendant had even after purchase of said land, never objected to the constructed windows. Now, the defendant has started construction work and he is digging foundation so that on certain day he will erect wall adjacent to his house and thereby plaintiff will be precluded from enjoying his right of easement. Therefore the plaintiff has filed this suit for declaration and injunction restraining the defendant for closing windows and obstructing air and light which plaintiff is receiving for more than 20 years. The plaintiff has valued the suit for declaration to the tune of Rs. 1,000/- (One Thousand) as the value of the suit property and court fee of Rs. 120/- (M.P. State) has been paid. In addition, he has valued the suit for injunction to the tune of Rs. 400/- and a minimum court fee of Rs. 100/- (one hundred) has also been paid.

Defendant's Pleadings :- The defendant has denied all the averments made by the plaintiff and has stated that the predecessor-in-title had told him that the plaintiff had sought permission to construct two windows which he had acceded but





Link Life with Law

no written document was executed. Therefore, plaintiff has just an oral permission and can be revoked at any time. It was just a permission which was withdrawn by him before he started digging work on the plot. The defendant has further stated that even if the plaintiff has acquired the easementary right but this does not mean that it is an unfettered right. It is always to be chanelised so as to enable the defendant to use his property to the maximum beneficial enjoyment. The defendant has also challenged the valuation and court fee.

Plaintiff's Evidence :- Plaintiff has examined himself and proved the sanction of construction of his house which is 23 years old on the date of filing of the suit. The Municipal Corporation had given permission to open the disputed windows subject to easementary rights of neighbours. Plaintiff has also proved the completion certificate of house which is also taken by him more than 22 years back on the date of institution of suit. In the cross-examination, he has denied that he had taken any permission from the defendant's predecessor-in-title. He has stated that since the land was lying vacant there was no need to seek permission. He has further stated that the predecessor-in-title used to visit on his land but never objected to it as he was an illiterate labourer. Plaintiff has also admitted that he has just passed 5th standard and does not know anything about legal rights.

The plaintiff has examined one neighbour who deposed that he has seen the existence of windows for more than 20 years and has denied that the windows are never opened as plaintiff has no need of the windows and he has other sources from where he is receiving light and air. Plaintiff has examined one engineer, who has supported the plaintiff's case and stated that if windows are closed, there will be complete darkness in the room where the windows are situated.

Defendant's Evidence :- The defendant has examined himself and predecessor-in-title to support the case. Both have stated that in their presence the plaintiff had admitted that he will remove the





windows when the owner of the plot will start construction, but in cross-examination the predecessor-in-title had admitted that when the plaintiff opened windows in the wall he was not present on the spot. Subsequently, when he came to know about it, he objected to it and on objection plaintiff agreed to remove the windows as and when required. Nothing was done in black and white. It was all oral. The defendant has denied any right of easement and claimed that he has right to construct on his land and has also right to close windows.

Arguments Plaintiff :- Section 4 of the easement was referred a right by prescription was claimed. There was no consent on behalf of the plaintiff that he will remove the windows as and when required & there was no permission sought by the plaintiff from the predecessor-in-title for construction of windows in the wall, are the main arguments of plaintiff.

Arguments Defendant :- Plaintiff can have light and air from the front portion. No easement. The Plaintiff was permitted to open windows, therefore, no question of easement arises. All these are main arguments of defendant.

निम्नलिखित अभिवचनों के आधार पर विवाद्यक विरचित कीजिये एवं साक्ष्य का क्रमबंधन एवं मूल्यांकन, संबंधित विधि/अधिनियम के सुसंगत प्रावधानों के साथ करते हुए निर्णय लिखिये :-

वादी के अभिवचन :- वादी भू-खण्ड सं.1 का स्वामी है और स्वीकार्य रूप से प्रतिवादी भू-खण्ड सं.2 का स्वामी है दोनों भू-खण्ड एक-दूसरे से लगे हुए हैं। वादी ने भू-खण्ड सं.1 पर एक आवास का निर्माण किया है और अपने घर के दाहिनी ओर उसने दो खिड़कियां खोली हैं। चूंकि बाईं ओर और पीछे की ओर अन्य आवासों की दीवारें हैं, इसलिए वादी के पास अपने मकान के पिछले भाग में प्रकाश और हवा प्राप्त करने का कोई और स्रोत नहीं है। इसी कारण से वादी दाहिनी ओर खिड़की खोलने के लिये बाध्य था। भू-खण्ड सं.2 पच्चीस वर्षों से अधिक खाली पड़ा है क्योंकि प्रतिवादी इसे अधिक मूल्य प्राप्त होने पर बेचने का आशय रखता है। वादी अपनी खिड़कियों से वायु एवं प्रकाश का उपभोग कर रहा है जो उसके अनुसार कथित सम्पत्ति के स्थायी लाभकारी उपभोग के लिए न्यूनतम अपेक्षा है। वादी के अनुसार वह प्रतिवादी के ज्ञान में, शांति पूर्वक, अबाध रूप से पिछले 23 वर्षों से अधिक समय से अधिकार का उपभोग कर रहा है। आगे यह भी अभिवचन किया गया





Link Life with Law

है कि प्रतिवादी ने अपने भू-खण्ड सं. 2 को किसी अन्य व्यक्ति से बाद में क्रय किया था और उसके पूर्व ही वादी ने अपने आवास का निर्माण किया था। प्रतिवादी ने कथित भूमि का क्रय करने के पश्चात भी निर्मित खिड़कियों पर कभी आपत्ति नहीं किया। अब प्रतिवादी ने निर्माण कार्य आरम्भ किया है और नींव खोद रहा है, ताकि किसी दिन वह उसके आवास से संलग्न दीवार खड़ा करे और तद्द्वारा वादी सुखाधिकार के अपने अधिकार का उपभोग करने से प्रवारित हो जायेगा। अतः वादी ने यह दावा घोषणा और व्यादेश का वाद प्रतिवादी को खिड़कियों को बन्द करके वायु एवं प्रकाश जिसे वह पिछले 20 वर्षों से अधिक से प्राप्त कर रहा है, को अवरुद्ध करने से रोकने के लिए संस्थित किया है। वादी ने घोषणा के लिये वाद संपत्ति का मूल्य 1,000/- (एक हजार) रूपए की राशि के बराबर मूल्यांकित किया है और 120 रूपए (म0प्र0 राज्य) न्यायालय फीस का संदाय की है। इसके अतिरिक्त उसने व्यादेश के लिए वाद का 400 रूपए के बराबर मूल्यांकन किया है और 100 रूपए (एक सो) का न्यूनतम न्यायालय फीस का संदाय किया है।

प्रतिवादी के अभिवचन :- प्रतिवादी ने वादी द्वारा किये गये सभी प्रख्यानों का प्रत्याख्यान किया है और यह कहा है कि पूर्वस्वामी ने उसे बताया था कि वादी ने दो खिड़कियों का निर्माण करने के लिए अनुज्ञा चाही थी जिसे उसने स्वीकार किया था किन्तु इस संबंध में कोई लिखित दस्तावेज निष्पादित नहीं कराया गया था। अतः वादी के पास मात्र मौखिक अनुज्ञा है जो किसी भी समय वापस ली जा सकती है। यह मात्र एक अनुज्ञा थी जिसे उसके द्वारा भू-खण्ड पर खुदाई कार्य आरम्भ करने के पूर्व प्रत्याहृत किया गया था। प्रतिवादी ने आगे यह अभिकथित किया है कि यदि वादी ने सुखाचार अधिकार अर्जित कर भी लिया है तो इसका यह अर्थ नहीं है कि वह एक निरंकुश अधिकार है। इसे सदैव नियंत्रित किया जा सकता है जिससे प्रतिवादी को अपनी सम्पत्ति का अधिकतम लाभकारी उपभोग करने के लिए समर्थ बनाया जा सके। प्रतिवादी ने मूल्यांकन और न्यायालय शुल्क को भी आक्षेपित किया है।

वादी की साक्ष्य :- वादी ने स्वयं को परीक्षित करवाया है और वाद दाखिल करने की तारीख पर 23 वर्ष पुराने अपने मकान के निर्माण की स्वीकृति को साबित किया है। नगरपालिका निगम ने पड़ोसी के सुखाचार अधिकारों के अध्यक्षीन विवादित खिड़कियों को खोलने की अनुज्ञा दी थी। वादी ने आवास के पूरा होने का प्रमाण पत्र जो वाद संस्थित करने की तारीख पर 22 वर्ष से अधिक पहले लिया गया था, को भी साबित किया है। प्रतिपरीक्षा में उसने इस बात का प्रत्याख्यान किया है कि उसने प्रतिवादी के पूर्वस्वामी से कोई अनुज्ञा ली थी। उसने यह कहा है कि भूमि वहां खाली पड़ी थी, इसलिए अनुज्ञा लेने की कोई आवश्यकता नहीं थी उसने यह और कहा है कि पूर्वस्वामी अपनी भूमि को देखने आता था किन्तु इसको उसने कभी विरोध नहीं किया क्योंकि वह एक निरक्षर श्रमिक था। वादी ने यह भी स्वीकार किया है कि उसने मात्र पांचवी कक्षा पास की है और उसे विधिक अधिकारों के बारे में कुछ भी नहीं पता है।





Link Life with Law

वादी ने एक पड़ोसी को परीक्षित करवाया है जिसने बताया है कि उसने 20 वर्षों से अधिक से खिड़कियों को विद्यमान देखा है और इस बात का प्रत्याखान किया है कि खिड़कियां कभी नहीं खोली गयी हैं क्योंकि वादी को खिड़की की आवश्यकता नहीं है, और उसके पास अन्य स्रोत हैं जहां से वह प्रकाश और वायु प्राप्त कर रहा है। वादी ने एक इंजीनियर को परीक्षित करवाया है जिसने वादी के वाद का समर्थन किया है और कहा है कि यदि खिड़कियां बन्द की जाती हैं तो उस कमरे में जहां खिड़कियां स्थित हैं पूर्ण अंधेरा होगा।

प्रतिवादी की साक्ष्य :- प्रतिवादी ने स्वयं को और पूर्वस्वामी को अपने पक्ष के समर्थन में परीक्षित कराया है। दोनों ने यह कहा है कि उनकी उपस्थिति में वादी ने यह स्वीकार किया था कि वह खिड़कियां हटा देगा जब भी भू-खण्ड का स्वामी निर्माण आरम्भ करेगा। किन्तु प्रतिपरीक्षा में पूर्वस्वामी ने यह स्वीकार किया है कि जब वादी ने दीवार में खिड़कियां खोली तब वह मौके पर उपस्थित नहीं था। बाद में जब उसे इसके बारे में जानकारी हुई तब उसने इसकी आपत्ति की तब वादी जब और जैसे ही आवश्यकता होगी खिड़कियां हटाने पर राजी था। लिखित में कुछ नहीं किया गया। सभी मौखिक था। प्रतिवादी ने सुखाचार के किसी अधिकार का प्रत्याखान किया और यह दावा किया कि उसको अपनी भूमि पर निर्माण करने का और खिड़कियां बन्द करने का भी अधिकार है।

तर्क वादी :- सुखाचार की धारा 4 निर्दिष्ट किया गया, चिरभोग द्वारा एक अधिकार का दावा किया गया। वादी की ओर से यह सहमति नहीं थी कि जब भी आवश्यकता होगी, वह खिड़कियाँ हटा देगा और वादी द्वारा पूर्वस्वामी से खिड़कियाँ खोलने के लिए कोई अनुमति नहीं मांगी गई थी, वादी के प्रमुख तर्क हैं।

तर्क प्रतिवादी :- वादी सामने के भाग से प्रकाश और वायु प्राप्त कर सकता है। कोई सुखाचार नहीं है। वादी को खिड़कियां खोलने के लिए अनुमति दी गई थी। अतः, सुखाचार का कोई प्रश्न नहीं उठता। उक्त सभी प्रतिवादी के प्रमुख तर्क हैं।

JUDGMENT/ORDER (CRIMINAL) WRITING (JMFC)

निर्णय/आदेश (दांडिक) लेखन (JMFC)

Q. 4 Frame the charge on the basis of prosecution case and write a judgment with reason based upon the facts, evidence and arguments given below. 40

Prosecution Case :-

The prosecution case in short is that on 11.4.2008, at about 11:55 p.m. in the night, the complainant was fetching water from a public tap. The accused asked for his cycle but the complainant refused to give his cycle to him. On this issue, the accused started abusing the complainant and when the complainant requested him not to do so,





Link Life with Law

then the accused brought a *lathi*. After seeing the accused, the complainant went inside his house, however, the accused followed him and brought him out of house and started beatings the complainant by means of lathi, as a result of which, the complainant fell down on the ground and sustained various injuries on the different parts of his body. The incident was witnessed by Lala Shrivastav, Kundan Singh, Manju, etc. The complainant lodged report in police station Kotwali, Shivpuri on 12.4.2008, at about 00:45 a.m. in the night and on the said complaint, the police registered Crime No. 230/2008. The complainant was sent for medical examination. During investigation, spot map was prepared, the statements of the witnesses were recorded.

Defence Plea :-

There is no previous enmity with the complainant. The injuries on the body of complainant are old injuries, not caused on the date of the incidence. Injuries can be caused by falling on ground. No offence is made out under section 327 of I.P.C. There is no eye-witness, as incidence occurred in dark midnight.

Evidence for prosecution :-

The complainant had received 8 contusions on his body and medically examined by Doctor (P.W.-5), Preparing M.L.C. report Exhibit P-6. Prosecution examined the complainant (P.W.-1), Gopal Giri (P.W.-2), Lala Shrivastav (P.W.-3), Kundan Singh (P.W.-4).

Evidence for defence :-

Accused in his examination under section 313 Cr.P.C. contended that recovery of lathi is not proved. He has committed no offence, injuries were not caused on the date of incidence, but injuries were old.

Arguments of Prosecutor :-

The offences are established by the prosecution evidence. Injuries are proved by expert evidence. Prosecution witnesses are reliable.

Arguments of Defence Counsel :-

Prosecution has not proved the case beyond reasonable doubt. There is no extortion of property. Injuries are not proved. Recovery is not proved. There was no assault on the complainant.





नीचे दिये गये अभियोजन के मामले के आधार पर आरोप विरचित करें तथा नीचे दिये गये तथ्यों, साक्ष्य व तर्कों के आधार सकारण निर्णय लिखिये –

अभियोजन का प्रकरण :-

अभियोजन का मामला संक्षेप में यह है कि 11.4.2008 को लगभग 11:55 बजे रात में परिवादी सार्वजनिक नल से पानी भर रहा था। आरोपी ने उसकी साइकिल मांगी, लेकिन परिवादी ने आरोपी को अपनी साइकिल देने से मना कर दिया। इस विवाद पर आरोपी परिवादी को गाली देने लगा, जब परिवादी ने उससे ऐसा न करने का अनुरोध किया, तो आरोपी एक लाठी ले आया। आरोपी को देखकर, परिवादी अपने घर के अंदर चला गया, किंतु, आरोपी ने उसका पीछा किया और उसे घर के बाहर ले आया और लाठी से परिवादी को मारने लगा, जिसके परिणामस्वरूप, परिवादी जमीन पर गिर पड़ा एवं उसके शरीर के विभिन्न अंगों पर उपहतियां कारित हुईं। घटना को लाला श्रीवास्तव, कुन्दन सिंह, मंजू इत्यादि द्वारा देखा गया था। परिवादी ने 12.04.2008 को लगभग 00:45 बजे रात में थाना कोतवाली, शिवपुरी में रिपोर्ट दर्ज करायी, और उस रिपोर्ट पर अपराध क्रमांक 230/2008 पंजीकृत किया गया। परिवादी को चिकित्सीय परीक्षण हेतु भेजा गया। अन्वेषण के दौरान स्थल नक्शा तैयार किया गया, साक्षियों के कथन लेखबद्ध किये गये।

प्रतिरक्षा अभिवाक :-

परिवादी के साथ कोई पुरानी दुश्मनी नहीं है। परिवादी के शरीर पर चोटें पुरानी चोटें हैं और घटना दिनांक को कारित नहीं की गई है। घटना जमीन पर गिरने से कारित हो सकती है। भा.दं.सं. की धारा 327 के तहत अपराध नहीं बनता है। कोई प्रत्यक्षदर्शी साक्षी नहीं है क्योंकि घटना अंधेरी रात में घटित हुई है।

अभियोजन की साक्ष्य :-

परिवादी के शरीर पर 8 चोट के निशान मिले थे और एम.एल.सी. रिपोर्ट प्रदर्श पी-6, डॉक्टर (पी.डब्लू-5) के द्वारा तैयार किया गया। अभियोजन पक्ष ने साक्षियों, परिवादी (पी.डब्लू-1), गोपाल गिरी (पी.डब्लू-2), लाला श्रीवास्तव (पी.डब्लू-3), एवं कुदंन सिंह (पी.डब्लू-4) का परीक्षण कराया है।

बचाव साक्ष्य :-

आरोपी ने द.प्र.सं. की धारा 313 के तहत अपने परीक्षण में यह कथन किये हैं कि लाठी की बरामदगी साबित नहीं हुई। उसने कोई अपराध नहीं किया है। घटना की तारीख को चोटें कारित नहीं हुई, पुरानी चोटें थीं।

अभियोजक का तर्क :-

अभियोजन साक्ष्य से अपराध सिद्ध होते हैं। विशेषज्ञ साक्ष्य से चोटों की पुष्टि होती है। अभियोजन पक्ष के गवाह विश्वसनीय हैं।



अभियोजन पक्ष ने मामले को संदेह से परे साबित नहीं किया है। संपत्ति का उद्घापन नहीं हुआ है। चोटें साबित नहीं हुई हैं। संपत्ति की जप्ती प्रमाणित नहीं है। परिवादी पर कोई हमला नहीं हुआ।

